

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02022021-224874
SG-DL-E-02022021-224874

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]	दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2021/ माघ 12, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 308
No. 47]	DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2021/MAGHA 12, 1942	[N. C. T. D. No. 308

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. एफ. 4(1)उप/ओएसडी-1/विधि/रा.चु.आ./2021/(ii) 8048.—जबकि राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ने दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 12 के अन्तर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01 फरवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या एफ. 4(1)उप/ओएसडी-1/विधि/रा.चु.आ./2021/(i) के अनुसार उक्त नगर निगमों में आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिए पार्षदों के उप-चुनावों हेतु प्रत्येक के सामने दर्शाए दिल्ली नगर निगमों के निम्नलिखित वार्डों के उप-चुनावों का आह्वान किया है:—

क्रम सं०	वार्ड का नं० तथा नाम	आरक्षण की स्थिति	नगर निगम का नाम
1	2	3	4
1	32एन- रोहिणी सी	सामान्य	उत्तरी दिल्ली नगर निगम
2	62एन -शालीमार बाग उत्तरी	महिला	उत्तरी दिल्ली नगर निगम
3	02ई- त्रिलोकपुरी पूर्वी	अनुसूचित जाति	पूर्वी दिल्ली नगर निगम
4	08ई- कल्याणपुरी	अनुसूचित जाति	पूर्वी दिल्ली नगर निगम
5	41ई-चौहान बांगर	सामान्य	पूर्वी दिल्ली नगर निगम

अब, अतः उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव), नियमावली, 2012 के नियम 14 के उपबंधों के अनुसरण करते हुए मैं, संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसके द्वारा उक्त उप-चुनावों के संबंध में नामांकन पत्र आदि भरने की तिथियां आदि, निम्न प्रकार निश्चित करता हूँ:-

- (क) 01 फरवरी, 2021 (सोमवार) : उप-चुनावों की अधिसूचना जारी करने की तिथि
 (ख) 08 फरवरी, 2021 (सोमवार) : नामांकन पत्र भरने की अन्तिम तिथि
 (ग) 10 फरवरी, 2021 (बुधवार) : नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि
 (घ) 13 फरवरी, 2021 (शनिवार) : प्रत्याशियों द्वारा नाम वापिस लेने की अन्तिम तिथि
 (ङ) 28 फरवरी, 2021 (रविवार) : यदि आवश्यक हो, तो मतदान की तिथि
 (च) 13 मार्च, 2021 (शनिवार) : जिस तिथि से पहले उप-चुनाव पूरे कर लिए जाएंगे।

राज्य चुनाव आयुक्त इसके द्वारा आगे उपरोक्त नियमावली के नियम 29 की अपेक्षानुसार उक्त उप-चुनावों के संबंध में मतदान का समय "प्रातः 7.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक (बिना रुके)" निश्चित करते हैं।

संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त

STATE ELECTION COMMISSION NOTIFICATION

Delhi, the 1st February, 2021

No.F.4(1)BYE/OSD/legal/SEC/2021/(ii) 8048.—Whereas the State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred upon him under section 12 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended by the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011, has called upon the following wards of the Municipal Corporation of Delhi, shown against each, to elect Councillors to fill the casual vacancies in the above-mentioned Municipal Corporations vide Notification No.F.4(1)BYE/OSD/legal/SEC/2021/(i) dated the 01st February, 2021.

S. No.	No. & Name of Ward	Status of Reservation	Name of the Municipal Corporation
1	2	3	4
1.	32N- Rohini-C	General	North Delhi Municipal Corporation
2.	62N- Shalimar Bagh North	Female	North Delhi Municipal Corporation
3.	02E- Trilok Puri East	Scheduled Caste	East Delhi Municipal Corporation
4.	08E- Kalyanpuri	Scheduled Caste	East Delhi Municipal Corporation
5.	41E- Chauhan Bangar	General	East Delhi Municipal Corporation

NOW, THEREFORE, in exercise of the said powers and in pursuance of the provisions of rule 14 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012, I, Sanjay Kumar Srivastava, State Election

Commissioner of the National Capital Territory of Delhi, hereby further appoint, with respect of the above-said bye-elections, the dates for filing of nominations etc., as under :-

- (a) 01st February, 2021 (MONDAY) : issue of notification on Bye-election
- (b) 08th February, 2021 (MONDAY) : as the last date of filing nomination
- (c) 10th February, 2021 (WEDNESDAY) : as the date for scrutiny of nominations
- (d) 13th February, 2021 (SATURDAY) : as the last date for withdrawal of Candidatures
- (e) 28th February, 2021 (SUNDAY) : as the date of poll, if necessary
- (f) 13th March, 2021 (SATURDAY) : as the date before which the Bye

Elections shall be completed.

The State Election Commissioner hereby further appoints the hours of poll in respect of the above-said bye-elections as “7:30 A.M. to 5:30 P.M. (without break)” as required under rule 29 of the aforesaid Rules.

SANJAY KUMAR SRIVASTAVA, State Election Commissioner